फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

प्रेमलता शर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी चाकसू

प्रकरण संख्या : 41 /2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
17.08.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05, अगस्त, 2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। टिप्पणी अप्राप्त है। अतः बा–इन्तजार टिप्पणी एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.09.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	
4-9-23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिणवा आर ए एस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/1998 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 02/1998 ब उनवानी रामप्यारी बनाम तुलसा व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिणवा आर॰ए॰एस॰ से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिणवा आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner